

**फार्म**

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०**

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उरद सेवा का नाम, जिसमें वह हो ..... **श्रीमती वि. र. शर्मा** ..... २. वर्तमान धारित पर **लिबर**

३. वर्तमान वेतन ..... **२,४८,०००/-** ..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख ..... **जुलाई २०१८**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, वंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	पूरा तथा अन्य भावन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	निर्गुण	निर्गुण	निर्गुण	निर्गुण	निर्गुण	निर्गुण	-

हस्ताक्षर ..... **Deepa Hing**  
 नाम ..... **श्रीमती वि. र. शर्मा**  
 पद ..... **लिबर**  
 विभाग ..... **कारिगरी अंतर्गत शासकीय सेवा**

\* जहां लाना न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य अतलासा जाए।  
 \*\*\* इसमें अन्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रधान श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् वह जोरणा-पत्र भर कर प्रत्येक बार और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।  
 शाकेनुमा-1772--अससाप्रवि-24-1-05--10,000.